कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 267 /15–1 दिनांक, झांसी, जुलाई, 19 2019

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
उ0प्र0 झांसी।

विषय :– जनपद झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–26 के कि0मी0 संख्या–03 से 11 तक झांसी, हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनो पटरी पर चौड़ीकरण/फोर लाईन निर्माण में से प्रभावित संरक्षित वन भूमि 14.80 हे0 एवं 945 वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु।

संदर्भ :– उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के संख्या–पी–92/84–2–2019–800(64) 2019 दिनांक 09.07.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल धिकारी का पत्र संख्या–68/11सी–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/39827/2019, दिनांक 09.07.2019 तथा अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0 विभाग (भवन विंग), झांसी का सं0–603/वन प्रभाग/19 दिनांक 12.07.2019 प्राप्त 17.07.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव उ0प्र0 सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में परीक्षण उपरान्त लगाई गयी आपत्तियां कतिपय बिन्दुओं पर विन्दु संख्या–01 से 03 है, जिसमें आपत्तियों का निराकरण एवं संशोधित सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों सहित प्रस्ताव संशोधित कर चार प्रतियों में आपकी सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित प्रेषित हैं।

क्र0सं0	उ0प्र0 शासन द्वारा लगाई गयी आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–2 रक्षित परियोजना की स्वीकृति में झांसी–बबीना मार्ग (अन्य जिला मार्ग) कि0मी0 संख्या–01 से 11 अंकित है, जब कि प्रस्ताव में कि0मी0 संख्या–3 से 11 तक ही गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित है, जिसमें विरोधाभास है।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–2 परियोजना की संशोधित स्वीकृति पत्र झांसी बबीना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–26 के चौड़ीकरण में गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति कि0मी0 संख्या–03 से 11 तक परियोजना के कार्य संसाधन, जो पृष्ठ संख्या–02 के संदर्भ में संलग्न हैं।
2	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–94 पर रक्षित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाण पत्र में कि0मी0 संख्या–04 से 11 तक अंकित है, जबकि प्रस्ताव में कि0मी0 संख्या–3 से 11 कि0मी0 तथा मार्ग चौड़ीकरण प्रस्तावित है, जिसमें विरोधाभास है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पृष्ठ संख्या–94 पर रक्षित अथोर्टी लेटर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संशोति प्रमाण में कि0मी0 संख्या–3 से 11 तक अंकित कर प्रस्तुत किया गया जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–94 पर संलग्न हैं।
3	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–36 पर रक्षित प्रमाण पत्र में परियोजना में कि0मी0 संख्या–06 से 8 के मध्य लगभग 1.70 मी0 एवं 6 मी0 चौड़ाई में बिना अनुमति प्राप्त किये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य किया गया है, जिस कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंघन पाया गया हैं।	वन विभाग के तैनात तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारियों की तत्परता से झांसी–ललितपुर मार्ग संख्या–26 के कि0मी0 संख्या–6 से 8 के मध्य परियोजना अधिकारी/प्रयोक्ता अभिकरण के सक्षम अधिकारी श्री निर्दोश कुमार, अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0 विभाग को झांसी के द्वारा 1.70 कि0मी0 लम्बाई एवं 6 मी0 चौड़ाई में बिना अनुमति के वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया गया, जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंघन हुआ। अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उक्त कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द करते हुये प्रभावित 1.02 हे0 संरक्षित वन भूमि पर अवैध बिना अनुमति के कार्य करने पर एच–2 केस इजरा करते हुये नोटिस दिया गया तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक धनराशि जमा करने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–40 पर संलग्न हैं।

(i)	उक्त उल्लंघन 1.02 हे0 के क्षेत्र में किया गया है, जिसकी अवधि 2.5 वर्ष अर्थात 30 मह है। भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 29.01.2018 के आलोक में सम्बन्धित कार्मिक/प्रयोक्ता के विरूद्ध कार्यावही किये जाने हेतु जांच अधिकारी की आख्या उपलब्ध करायी जाये के क्रम 30 माह तक किये गये उल्लंघन में असफल रहे विभागीय कार्मिक एवं प्रयोक्ता के विरूद्ध कृत कार्यवाही की स्थिति भी स्पष्ट नही की गयी हे।	भारत सरकार, नई दिल्ली की गाईड लाईन FN-11-42/2017/FC, दिनांक 29.01.2018 में उल्लिखित बिन्दु B(i, ii, iii, iv) के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है :– (i) प्रभावित वन भूमि – 1.02 हे0 अवधि – 2.5 वर्ष (30 माह) एन0पी0वी0 की दर – 6.26 लाख धनराशि – 2.5X1.02X6.26000=1596300.00 उक्त धनराशि पर 12% साधारण ब्याज (30 माह तक) – 1596300X30/12X12/100= 478890.00 कुल दण्डात्मक राशि 1596300.00+478890.00 =2075190.00 (ii) Bring Public Tility Project of Goverment – =2075190X20%=415038.00 अतः देय कुल दण्डात्मक धननराशि-415038.00 (चार लाख पन्द्रह हजार अढतीस रू0 मात्र) (iii) whenUser agency started the work it was stapped immedately by the Range office Jhansi and legal action was taken (iv) Range case no-30/2016-17 issued against user agency and notice issued to Sri Nirdosh Kumar Suman, Executive, Nirman Khand (Bhavan wing) PWD, Jhansi. उपरोक्त अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप यदि कोई दण्ड आरोपित अथवा निर्धारित/किया जाता है जो प्रयोक्ता अभिकरण उसके अनुपालन के लिये वचबद्ध है। उपरोक्त दण्डात्मक की गयी कार्यवाही के अभिलेखों में एच–2 केस, नजरी नक्शा नोटिस जांच अधिकारी की जांच आख्या संलग्न है। विभागीय अधिकारी/कार्मिक के द्वारा तत्काल प्रभाव से उचित कार्यवाही की तथा प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही अमल में लाई गयी।

अतः उक्त प्रस्ताव/प्रश्नगत प्रकरण में पायी गयी कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्राविधानों एवं एम0ओ0ई0एस0 भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गित गाईड लाइन्स के अनुसार प्रस्ताव का विधिवत् परीक्षण कर निर्धरित शर्तो के साथ प्रस्ताव की कमियों का निस्तारण किया गया है। कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न है। अतः प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति के साथ प्रेषित हैं। प्रकरण की महत्ता को व्यक्तिगत ध्यान में रखते हुये समयशीलता का अनुपालन किया गया है।

संलग्नक–(1) रेंज केस संख्या–30/16–17 दि0 26.01.2017 झांसी।

(2) नोटिस पत्र संख्या–590टीसी/15–1, दि0 31.03.2017।

(3) जांच आख्या अन्तिम जांच आख्या रेंज केस संख्या–30/16–17, झांसी रेंज।

(4) नजरी नक्शा।

(5) वचनबद्धता प्रमाण पत्र।

(6) प्रश्नगत आपत्ति के क्रमांक–1 व 02 का प्रतिउत्तर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत उत्तर संलग्न है।

भवदीय

(वी0के0 मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी
प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 267 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, भवन विंग लो0नि0विभाग, झांसी को उनके पत्र के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0के0 मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी
प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

9C

U6 A

वन विभाग उ० प्र० झाँसी परिधि (सर्किल) बुन्देलखण्ड वृत्त खण्ड (डिवीजन) नर्ज

वन अपराध वन संरक्षण अधि० प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० ———— दिनांक 26.1.2017 अधिक्षेत्र (रेंज)
1980 की धारा 2 व भा० वन अधि०

भा० व० प्र० बुक नं० 1927 की धारा 33 पेज नं० 4883

R 93 केस 30/16-17 झाँसी

1-नाम, पिता का नाम और निवास स्थान
1. निर्देश कुमार सुमन, अधिशासी अभियन्ता
2- एस० पी० प्रजापति सहायक अभियन्ता
3- सन्तोष आर जन अपर अभियन्ता, पी० डब्ल्यू० डी० (भवन खण्ड) लोकनिर्माण विभाग, झाँसी

27.1.2017 स्वत् केस

2-साक्षी का नाम स्वयं, श्री एजाज उद्दीन वनदरोगा
श्री आर० पी० प्रजापति क्षेत्रीय वनाधिकारी, झाँसी

प्र०अ० झाँसी

3-कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक दि० 26.1.2017 को झाँसी - ललितपुर राष्ट्रीय मार्ग कि०मी० सं० 6-8 वायी पटरी में सड़क के किनारे स्थित वृक्ष सड़क चौड़ी करना, लम्बाई 1.60 कि०मी० में निर्माण कार्य

4-मूल्य क्षति पहुंचाना
प्रभागीय वनाधिकारी झाँसी को ... प्रथम सूचनार्थ रिपोर्ट प्रेषित

प्रोसोपिस	गो०	135 मी०	1 पेड़
——	डाले	18 नग	गो० 0-1
——	"	12 "	गो० 1-2

क्षेत्रीय वन अधिकारी झाँसी

5-चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) जांच जारी है।

Photo Copy Attesteo के सम्बन्ध से विशेष कथन

R.O. JHANSI

महोदय, दिनांक 26.1.2017 को सूचना प्राप्त हुई कि

6-प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख
झाँसी - ललितपुर मार्ग के पी० डब्लू० डी० झाँसी द्वारा रोड चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त हमराह के साथ मौके का निरीक्षण किया गया कि, उक्त मार्ग की बायी पटरी में कि० मी० सं० 6-8 के मध्य लगभग 1.60 कि०मी० में पटरी पर मिट्टी खुदान का कार्य किया जा रहा मौके पर तत्काल कार्य को रुकवाया दिया गया, पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता श्री निर्देश कुमार सुमन के निर्देशन में किया जा रहा है। इनके द्वारा दि० 25.1.2017 को कार्य को रुकवाया था, इनके द्वारा 26.1.2017 को पुनः कार्य प्रारम्भ करवा दिया। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 में दिये गये प्राविधान का उल्लंघन है। रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
सामी

एजाज उद्दीन वनदरोगा
जामवां बाउन्ड्री

क्षेत्रीय वनाधिकारी, रिपोर्ट प्रेषित क्षेत्र (वन प्रभाग, झाँसी ...)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
झाँसी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 590 T.C /15-1 दिनांक, झांसी, 31-03-2017

नोटिस

श्री निर्दोष कुमार, अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, झांसी

क्षेत्रीय वनाधिकारी, झांसी के पत्रांक–277/29–1, दिनांक 27.03.2017 के द्वा अवगत कराया है कि आपके द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति झांसी–ललितपुर मार्ग पर कि 6–8 के मध्य लगभग 1.70 किमी0 लम्बाई तथा 6 मी0 चौड़ाई मार्ग चौड़ीकरण हेतु मिट खुदान का कार्य कराया गया, जिसे रूकवा दिया गया है। इस सम्बन्ध में आपको इस नोटि के माध्यम से सूचित करना है कि उक्त मार्ग पटरियॉ भारतीय वन अधिनियम 1927 के त संरक्षित वन घोषित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत इन पटरियों पर कोई भी वानिकी कार्य बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के करना निषिद्व है। आपका यह कृत्य संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उ तत्काल उक्त कार्य को बंद करें तथा भविष्य में बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति उ भूमि पर कोई भी गैर वानिकी न करें। उक्त प्रकरण में अपना पक्ष तत्काल प्रस्तुत करें, अन्‍ आपके विरूद्व वैद्यानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ल
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 590 T.C. /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी ।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी।

O/C

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ल
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

नजरी नक्शा रेंज केस सं0 30/2016-17
झाँसी-ललितपुर राष्ट्रीय मार्ग कि0मी0

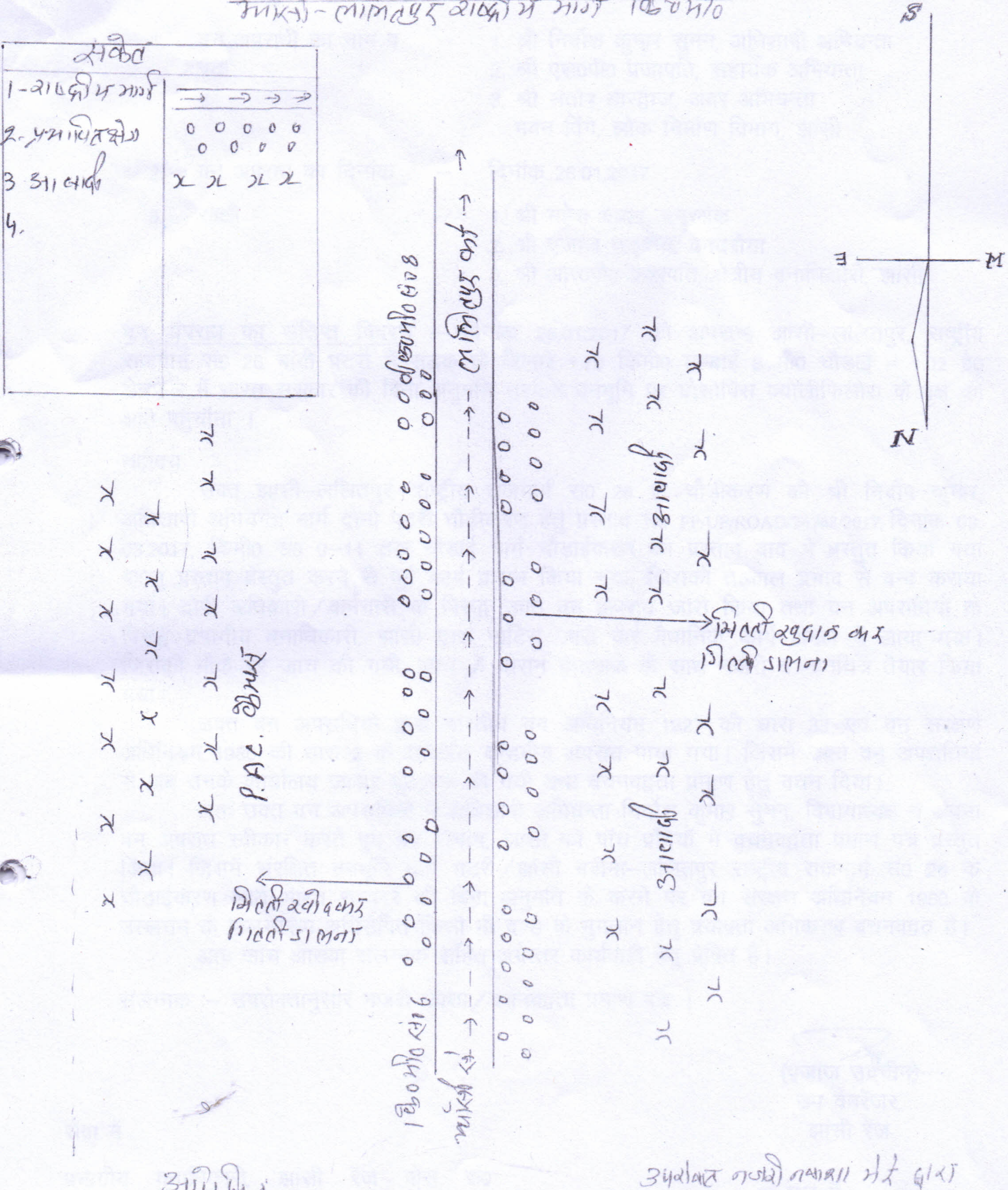

आ0सि0

27/9/18
बंदोबस्त

(क्षेत्रीय वन अधिकारी)
झाँसी रेन्ज

अधोहस्ताक्षरी नजरी नक्शा मेरे द्वारा बनाया गया

03/4/2017

झाँसी रेंज.

अन्तिम जांच रिपोर्ट केस सं0 30/16–17, झांसी रेंज

1.	वन अपराधी का नाम व पता	–	1. श्री निर्दोश कुमार सुमन, अधिशाषी अभियन्ता 2. श्री एस0पी0 प्रजापति, सहायक अभियन्ता 3. श्री संतोष भारद्वाज, अवर अभियन्ता भवन विंग, लोक निर्माण विभाग, झांसी
2.	वन अपराध का दिनांक	–	दिनांक 26.01.2017
3.	साक्षी	–	1. श्री महेश यादव, वनरक्षक 2. श्री एजाज उद्दीन, वनदरोगा 3. श्री आर0पी0 प्रजापति, क्षेत्रीय वनाधिकारी, झांसी

वन अपराध का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 26.01.2017 को अपरान्ह झांसी–ललितपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 26 बांयी पटरी में सड़क के किनारे 1.70 किमी0 लम्बाई 6 मी0 चौड़ाई = 1.02 हे0 क्षेत्रफल में भारत सरकार की बिना अनुमति संरक्षित वनभूमि पर प्रोसोपिस ज्योलीफिलोरा के वृक्ष की क्षति पहुचाँना ।

महोदय,

उक्त झांसी–ललितपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 26 के चौड़ीकरण को श्री निर्दोष कुमार, अधिशाषी अभियन्ता मार्ग दोनो पटरी चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव सं0 FP/UP/ROAD/24768/2017, दिनांक 03.03.2017, किमी0 सं0 0–11 तक चौड़ाई मार्ग चौड़ाईकरण का प्रस्ताव वाद में प्रस्तुत किया गया परन्तु प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसको तत्काल प्रभाव से बन्द कराया गया। दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व उक्त वन अपराध जारी किया तथा वन अपराधियों के विरूद्व प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी द्वारा नोटिस जारी कर वैधानिक कार्य अमल में लाया गया। जिसकी मौके पर जांच की गयी, जांच के दौरान वनरक्षक के साथ नजरी व मानचित्र तैयार किया गया।

उक्त वन अपराधियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाया गया। जिसमें उक्त वन अपराधियों से जब उनके कार्यालय जाकर पूंछताछ की गयी तथा वचनवद्वता प्रमाण हेतु वचन दिया।

अतः उक्त वन अपराधियों में अधिशाषी अभियन्ता निर्दोश कुमार सुमन, विभागाध्यक्ष ने अपना वन अपराध स्वीकार करते हुए वन विभाग, झांसी को पॉच प्रतियों में वचनवद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें संरक्षित वनभूमि मार्ग पटरी/झांसी बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 26 के चौड़ाईकरण कार्य भारत सरकार की बिना अनुमति के करने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन के फलस्वरूप अधिरोपित किसी भी दण्ड के भुगतान हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनवद्वत है।

अतः जांच आख्या संलग्नक सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार नजरी नक्शा/वचनवद्वता प्रमाण पत्र ।

(एजाज उद्दीन)
उप वनरेंजर,
झांसी रेंज

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी रेंज केस सं0 30/2016–17 की जांच आख्या मूल में संस्तुति सहित प्रेषित ।

मूल में

प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी की सेवा में संलग्नक सहित जांच आख्या संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अग्रेषित

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

प्रभागीय वनाधिकारी,
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

क्षेत्रीय वनाधिकारी,
झांसी

(क्षेत्रीय वन अधिकारी)
झाँसी रेंज

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि झाँसी–ललितपुर रा0रा0मार्ग सं0–26 के किमी0 सं0–03–11 तक की दोनो पटरियों पर चौड़ीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के फलस्वरूप अधिरोपित किसी भी दण्ड के भुगतान हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनवद्ध है।

(विष्णुकान्त मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी
प्रभागीय वनाधिकारी,
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी.

(निर्दोष कुमार सुमन)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन विंग),
लो0नि0वि0, झाँसी

G:\forest

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन विंग), लो0नि0वि0, झाँसी

पत्रांक– 603/वन प्रभाग/19 दिनांक– 12/07/19

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी।

विषय– जनपद–झाँसी में झाँसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–26 के किमी0 सं0 3 से 11 तक झाँसी हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनों पटरी पर चौड़ीकरण/चार लेन में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक–68/11–सी–FP /UP/Road/39827/ 2019, लखनऊ दिनांक–09.07.2019 एवं आपका पत्रांक–157/15–1, दिनांक–, झाँसी, जुलाई, 10, 2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उनके पत्रांक–68/11–सी–FP /UP/Road/39827/2019, लखनऊ दिनांक–09.07.2019 से प्रस्ताव में परीक्षण उपरान्त बिन्दु संख्या–1, 2 व 3 में बिन्दुवार आपत्तियाँ लगायी गयी है। जिसमें इस खण्ड से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण कर एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों सहित प्रस्ताव संशोधित कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में निम्न प्रकार प्रेषित है:–

क्रम संख्या	बिन्दुवार अनियमितता/कमियां	बिन्दुवार अनियमितता/कमियों का निराकरण
1	प्रस्ताव के पृष्ठ–2 पर रक्षित परियोजना की स्वीकृति में झांसी–बबीना मार्ग(अन्य जिला मार्ग) किमी0 01 से 11 अंकित है, जबकि प्रस्ताव में किमी0 3 से 11 किमी0 तक ही गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित है। जिसमें विरोधाभास है।	परियोजना की स्वीकृति में झाँसी–बबीना मार्ग (अ0जि0मा0) किमी0 1 से 11 तक ही है परन्तु किमी0 1 से 3 में फोरलेन चौड़ीकरण हेतु कुछ भूमि सेना क्षेत्र की पड़ रही है जिसकी एन0ओ0सी0 हेतु रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से प्रयास किया जा रहा है उक्त कारण होने की वजह से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ द्वारा प्रस्ताव में सेना क्षेत्र की एन0ओ0सी0 न होने के कारण पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव वापिस कर दिया गया। जिससे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सेना क्षेत्र से प्रभावित मार्ग के किमी0 1 से 3 तक के भाग को छोड़कर शेष भाग किमी0 3 से 11 तक का प्रस्ताव पुनः बनाकर प्रेषित किया गया है। अतः सेना क्षेत्र से प्रभावित भाग किमी0 1 से 3 तक की एन0ओ0सी0 रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हो जाने के पश्चात ही किमी0 1 से 3 तक का प्रस्ताव बनाकर अलग से प्रेषित किया जायेगा तद्‌नुसार किमी0 3 से 11 तक की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
2	प्रस्ताव के पृष्ठ–94 पर रक्षित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाण–पत्र में किमी0 4 से किमी0 11 तक अंकित है, जबकि प्रस्ताव में किमी0 3 से किमी0 11 मार्ग चौड़ीकरण प्रस्तावित है। जिसमें विरोधाभास है।	एथोरिटी लेटर को संशोधित कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में पृष्ठ–36 पर रक्षित प्रमाण पत्र में परियोजना में किमी0 6 से 8 के मध्य लगभग 1.70 किमी0 लम्बाई एवं 6 मी0 चौड़ाई में बिना अनुमति प्राप्त किये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य किया गया है, जिस कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंघन पाया गया है। उक्त उल्लंघन 1.02 हे0 के क्षेत्र में किया गया है जिसकी अवधि 2.5 वर्ष अर्थात 30 माह है। भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक–29.01.2018 के आलोक में सम्बन्धित कार्मिक/प्रयोक्ता के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु जांच अधिकारी की आख्या उपलब्ध करायी जाये के क्रम में 30 माह तक किये गये उल्लंघन में असफल रहे विभागीय कार्मिक एवं प्रयोक्ता के विरूद्ध कृत कार्यवाही की स्थिति भी स्पष्ट नही की गयी है।	यह बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी वन प्रभाग, झाँसी से सम्बन्धित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।
मूल में पाँच प्रतियों में बिन्दुवार संलग्नक सहित।

Recd 17/7/19

भवदीय

(निर्दोष कुमार सुमन)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड(भवन विंग), लो0नि0वि0, झाँसी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन विंग)
लो0 नि0 वि0, झाँसी

पत्रांक– / दिनांक–
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झाँसी।

अग्रसित

प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड(भवन विंग), लो0नि0वि0, झाँसी

Authority Letter

It is certify that Er. Nirdosh Kumar Suman, Executive Engineer, Construction Division (Bhawan Wing), P.W.D., Jhansi is authorized as signature authority regarding forest clearance of "4- Lane Widening of Jhansi-Babina Road from Km. 3 to Km. 11 District-Jhansi (U.P.)".

Signature of shri Nirdosh Kumar Suman EE CD (Bld) PWD Jhansi Attested

(Er. Krishna Kumar)
Superintending Engineer
Jhansi Circle, P.W.D.
Jhansi

(Er. Krishna Kumar)
Superintending Engineer
Jhansi Circle, P.W.D.. JHANSI

अग्रसारित
प्रभागीय वनाधिकारी,
पश्चिमी वन प्रभाग, झाँसी

G:\forest